बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–1–52/2020 1299 /पटना, दिनांक :– 4.8.2020

श्री आलोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी से कार्य प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत पदस्थापन अवधि में एम०एन०पी० शीर्ष के तहत कार्यान्वित सरई टांड से बहेरी पथ निर्माण में अनियमितता के संदर्भ में मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त स्थल जॉच प्रतिवेदन दिनांक 22.05.2013 के आलोक में विभागीय पत्रांक 3664 अनु0 दिनांक 01.10.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 14.08.2015 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3468 अनु0 दिनांक 17.11.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री अरूण कुमार महतो, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री देव कृष्ण कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध तीन आरोप गठित किये गये। आरोप संख्या–1 पथ में प्रयुक्त जी0एस0बी0 मेटेरियल के रूप में व्यवहार किये गये सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं होने से संबंधित है। आरोप संख्या–2 पथ के दोनों तरफ फ्लैंक में मिट्टी कार्य भी कार्य नहीं किये जाने से संबंधित है। आरोप संख्या–3 पथ में एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित एन0पी0–3 ह्यूम पाईप के बाजाय कार्य स्थल पर एन0पी0–2 ह्यूम पाईप लगाये जाने का साक्ष्य मिलने से संबंधित है।

4. श्री अरूण कुमार महतो का स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक–140 दिनांक 20.01.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–2 को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

5. श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2239 अनु0 दिनांक 04.07.2017 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

6. संचालन पदाधिकारी के उक्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार से उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) तहत से विभागीय पत्रांक 2912 अनु0 दिनांक 20.09.2017 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मॉग की गयी तथा इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 745 दिनांक 12.04.2018 एवं विभागीय पत्रांक 2329 दिनांक 18.09.2018 द्वारा श्री कुमार को स्मारित भी किया गया। इस प्रसंग में श्री कुमार ने अपने पत्रांक 1953 दिनांक 17.11.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन की पुनः मांग की गयी तथा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी को विभाग के स्तर से मामले से संबंधित साक्ष्य की प्रति देने हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया।

9/7/2020

153

7. श्री कुमार को विभागीय पत्रांक 1240 अनु0 दिनांक 30.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति पुनः उपलब्ध करा दी गयी तथा जॉच प्रतिवेदन के अतिरिक्त कागजात/अभिलेख अपने स्तर से कार्य प्रमंडल से प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने का निदेश दिया गया, किन्तु श्री कुमार द्वारा अबतक अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह माना गया कि श्री कुमार को उक्त आरोपों के प्रसंग में अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

8. तत्पश्चात् श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नगत मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ के प्रथम किलोमीटर के साथ–साथ दूसरे किलोमीटर में भी जी0एस0बी0 कार्य में संवेदक द्वारा निम्न गुणवता का मेटेरियल का उपयोग किया गया, जिसमें 40 से 50 प्रतिशत प्लास्टिक गुणवत्ता वाला मिट्टी पाया गया एवं कहीं कहीं बड़े–बड़े आकार का पत्थर भी मिला हुआ पाया गया। साथ ही फ्लैंक में मिट्टी की चपाई नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा जी0एस0बी0 कार्य का सतत् पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा संवेदक के विरूद्ध निम्न गुणवत्ता के कार्य के लिये कोई कार्रवाई भी नहीं की गयी। पथ की जांच के क्रम में पाया गया कि पूर्व में पथ में जमीन पर ही **Brick Flate Soling** करके एन0पी0–2 ह्यूम पाईप लगाया गया था, जिसपर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण बाद में एन0पी0–3 ह्यूम पाईप लगाया गया। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा गंभीर अनियमितता बरती गयी।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(viii) तहत कार्यपालक अभियंता के निम्नतर कालमान वेतन पर स्थायी तौर पर अवनति की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. श्री कुमार के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 717 अनु0 दिनांक 05.03.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 211 दिनांक 20.06.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री आलोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण एवं मुल्यांकम, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(viii) तहत **कार्यपालक अभियंता के निम्नतर कालमाम वेतन पर स्थायी तौर पर अवनति की शास्ति** अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/7/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1300 /पटना, दिनांक :– 4.8.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1300 /पटना, दिनांक :– 4.8.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1300 /पटना, दिनांक :– 4.8.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 211 दिनांक 20.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

9/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1300 /पटना, दिनांक :– 4.8.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री आलोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/2020

अपर सचिव